फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री परथा **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 88,188 रा.का.अधि. **पत्रावली संख्या : 115/19**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 27.04.2023 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प विजनवास में पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा पत्र क्रमांक भू.अ./2023/813 दिनांक 27.04.2023 से रिपोर्ट पेश की। शामिल फाईल रहे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादी द्वारा आराजी नम्बर 1481/143 को गोदनामें के आधार पर अपने नाम दर्ज किया जाकर किस्म गैर खातेदारी से खातेदारी किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट मय दस्तावेज पेश कर वादग्रस्त आराजी नम्बर 1481/143 वादी के नाम गोदनामें के आधार पर पूर्व में ही दर्ज होना बताकर गैरखातेदारी से खातेदारी हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर उक्त वाद को खारिज किया जाने का निवेदन किया। अतः वादग्रस्त आराजीयात पूर्व में ही वादी के नाम होने से अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती हैं। रहा प्रश्न गैर खातेदारी से खातेदारी का तो उक्त दाद वादी चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर प्राप्त कर सकता हैं। गैर खातेदारी से खातेदारी की दाद न्यायालय हाजा से नहीं दी जा सकती हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय सुनाया गया। **(श्रीकान्त व्यास)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Shrikant Vyas Date: 2023.06.20 13:54:37 IST Reason: SelfAttested	

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 115/19 (वाद) GCMS No. : 2019/00189

उनवान

1. श्री परथा पिता दीपा मुतबन्ना हीरा डांगी निवासी विकरणी तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.04.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 13:54:37 IST
Reason: SelfAttested